फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर

वादी : तुलसीराम　　　　　बनाम　　　　　प्रतिवादी : भेरूलाल

किस्म मुकदमा : विविध　　　　　　　　　प्रकरण संख्या : 01/24

दिनांकः 05.07.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रकरण तामिल हेतु काफी समय से लम्बित है। वादी अधिवक्ता पूर्व में भी कई बार अनुपस्थित रहे है। न्यायालय द्वारा रूक रूक कर तीन बार आवाज लगवाई गई, किन्तु प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए ना ही न्यायालय समय के अन्त तक उपस्थित हुए। जिससे जाहिर होता है कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के प्रति गंभीर नहीं है एवम् उक्त वाद में प्रभावी पैरवी नहीं करना चाहता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 8 के अर्न्तगत अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है।

निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर फा.ट्रै.
गिर्वा–उदयपुर